न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 141/2016 (उदयपुर डिक्री)

1. कालूसिंह पिता फतहदान जी चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहनसिंह पिता फतहदान जी चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. मु. सज्जन बाई उर्फ सोभाग कुंवर पत्नी जी चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हिंगलाजदान पिता रूगनाथदान जी चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सोहन कुंवर पत्नी हिंगलाजदान जी चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार नई दिल्ली हाल पंचवटी, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 30.01.2013 प्र.सं. 50/2010

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 1, 2
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3
4– श्री अनुराग शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

———::———

निर्णय **दिनांक 30–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत

धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात कुल किता 36 रकबा 5.5700 हैक्टर भूमि ग्राम झाडोली में स्थित होकर उसमें वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा होकर मौके पर 100 वर्षो से बंटी होकर उनकी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादी के हिस्से की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया है, जिससे कुछ जमीन सड़क पर चली गयी है, जिसका मुआवजा वादी को प्राप्त करना है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में बेईमानी आ जाने से रेकार्ड में सभी का खाता बताते हैं, जिससे वादी को यह वाद प्रस्तुत करने पर विवश होना पड़ा है। अतः कब्जे अनुसार विवादित आराजियात का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी को मुआवजा न उठाने एवं बिना विभाजन के भूमि हस्तान्तरण नीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–01–2013 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री अनुराग शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी नहीं थी। दिनांक 24–10–2016 को विपक्षीगण जब मौके पर आये तब उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में पारित किया गया है एवं मौके पर काबिज अनुसार ही बंटवाड़ा किया गया है। अपील करीब 1000 दिन बाद प्रस्तुत की गयी है, जो मयाद बाहर होने से मयाद के बिन्दु पर ही

खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188, सी.एल.टी. 2017 (2) पेज 732 व सी.एल.टी. 2016 (1) पेज 301 प्रस्तुत की।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2013 की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 30–03–2013 तक यह अपील प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 13–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 3 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है इसके लिए जो कारण अपीलान्ट द्वारा बताये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त, जबकि देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें नजीरें आर.बी.जे. (17) 2010 पेज 289, आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 188, सी.एल.टी. 2017 (2) पेज 732 व सी.एल.टी. 2016 (1) पेज 301 अनुसार विलम्ब का पर्याप्त कारण नहीं होने से विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–01–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

कालुसिंह पिता फतहदान चारण, निवासी झाडोली, तह0 गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **हिंगलाजदान पिता रूगनाथदान चारण, निवासी झाडोली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**141/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गोगुन्दा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**30**.....माह.....**01**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**12**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30–01–2013 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**12**.....**2019** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:49:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: